रजिस्ट्रीसं०डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भागI—खण्ड1
PART I—Section 1
प्राधिकारसेप्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नईदिल्ली, मंगलवार, फरवरी2, 2016/माघ13, 1937
No. 44] NEW DELHI,TUESDAY, FEBRUARY 2, 2016/MAGHA 13, 1937

वित्तमंत्रालय
(आर्थिककार्यविभाग)
(बजटप्रभाग)
अधिसूचना

नईदिल्ली,2फरवरी,2016

सरकारीस्टॉककीपुन :खरीद

फा.सं 4(5)-डब्ल्यूएंडएम/2015: भारत सरकार अपने नकद प्रबंधन कार्यों के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित की पुन: खरीद अधिसूचित करती है; (i)7.59 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2016 (ii)10.79 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2016 और (iii) 7.02 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2016 (इसके बाद इन्हें सरकारी स्टॉक कहा जाएगा)। भारत सरकार द्वारा यह पुन: खरीद चालू अधिशेष नकद शेष का उपयोग करके सरकारी स्टॉक के परिपक्वकता की अवधि से पूर्व मोचन के लिए की जाएगी।

पुन:खरीद की विधि

2. सरकारी स्टॉक की पुन: खरीद एक या अधिक खंडों में भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ती नीलामी के माध्यम से की जाएगी। इसके संबंध में अपनायी जाने वाली वास्तविक प्रक्रिया और पुन: खरीद/निपटान की तारीख भारती रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

पुन: खरीद की अंकित राशि

3. 7.59 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2016,10.71 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2016 और 7.02 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2016 की पुन: खरीद कुल 20,000करोड़ रुपए के लिए होगी।

भुगतान

4. सरकारी स्टॉक की पुन: खरीद के लिए सीएएस, आरबीआई, नागपुर में रख-रखाव किए जाने वाले नकद शेष से भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। ऐसे भुगतान में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत सफल बोलियों/पेशकश के अंकित मूल्य पर प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा। इस तरीके से पुन: खरीदे गए सरकारी स्टॉक का मोचन परिपक्वता अवधि के पूर्व होगा और ऐसे उन्मोचित सरकारी स्टॉकों पर ब्याज प्रोद्भूत नहीं होगा।

सांविधिक उपबंध

5. ऐसे किसी मामले के संबंध में जिसकी इस अधिसूचना के तहत व्यवस्था नहीं की गई है, सरकारी स्टॉक सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमन, 2007 इसके अंतर्गत बनाए गए और इसके पहले भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना/(ओं) द्वारा शासित होगा।

राष्ट्रपतिकेआदेशानुसार,प्रशांतगोयल, संयुक्तसचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the2nd February, 2016

Repurchase of Government Stocks

F.No.4(5)-W&M/2015.—The Government of India hereby notifies repurchase of (i) 7.59 per cent Government Stock 2016, (ii) 10.71 per cent Government Stock 2016, and (iii) 7.02 per cent Government Stock 2016 (herein after called the Government Stocks) for its cash management operations. The repurchase by the Government of India will be undertaken to prematurely redeem the Government stocks by utilising the current surplus cash balances.

Mode of Repurchase

2. The repurchase of the Government Stocks will be undertaken through reverse auction by the Government of India in one or more tranches. The actual procedure to be followed in this regard and the date of repurchase/settlement will be notified by the Reserve Bank of India.

Nominal Amount of Repurchase

3. The repurchase of "7.59 per cent Government Stock 2016", "10.71 per cent Government Stock 2016", and "7.02 per cent Government Stock 2016" will be for an aggregate amount of ` 20,000 crore.

Payment

4. The payment for the repurchase of the Government Stocks will be made by the Government of India from its cash balances maintained with the CAS, RBI, Nagpur. Such payment will include the accrued interest on the nominal value of the successful bids/offer accepted by the Reserve Bank of India. The Government stocks repurchased in this manner will get prematurely redeemed and interest will cease to accrue on such redeemed Government stocks.

Statutory Provision

5. With respect to any such matter which has not been provided under this Notification, the Government Stock shall be governed by the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Regulations, 2007 framed thereunder and the earlier corresponding Notification(s) issued by the Government of India.

By Order of the President of India,

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte.of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.